न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी :— राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का कालेटड़ा

बनाम

अप्रार्थी— सोहनदान/शक्तिदान चारण निवासी चूवास अन्तर्गत धारा 91 भू.राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 90 / 2018 निर्णय दिनांक 9.10.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालेटड़ा ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी. पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद चूवास के खसरा नम्बर 23 में किस्म गै.मु. आकर मेंसे रकबा 0.10 हेक्ट. भूमि में बाड़ा लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को कारण वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी सोहनदान से नोटिस तामील होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी / अधिवक्ता श्री .... ने दिनांक .... को उपस्थित होकर जबाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलबध दस्तावेजो एवमं निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम चूवास खसरा नम्बर 23 में किस्म गै.मु.आकर मेंसे रकबा 0.10 हेक्ट. भूमि पर अतिकमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिकमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6/— रूपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिकमित रकबा 0.10 हेक्ट.भूमि के 0.60 रूपये लगान का 50 गुणा 30/— अक्षरे तीस रुपये बरार जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को क्रमशः खाता खतौनी व वसूली हेतु लिखा जावे । पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 9.10.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर